(141)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-3391-I/14

दर्यावसिंह पिता देवीसिंहजी आयु 56 वर्ष व्यवसाय कृषि जाति कलोता निवासी ग्राम धनोरा तहसील व जिला देवास .... आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री ....
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 2/9/14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

अभय कुमार पिता छगनलाल जाति देसवाली निवासी ग्राम अखेपुर तेहसील व जिला देवास
........................अनावेदक

459
02/9/2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भु–राजस्व संहिता अधिनथ न्यायालय नायब तेहसीलदार टप्पा बरोठा तेहसील देवास जिला देवास के प्रकरण क्रमांक 46/A-12/ 2013-14 मे किया गया सीमांकन दिनांक 26.06.2014 से असन्तुष्ट होकर।

माननीय महोदय,

यहकि, आवेदक की और से निम्न लिखित निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :–

प्रकरण मे सक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, अनावेदक ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तेहसीलदार टप्पा बरोठा तेहसील देवास जिला देवास के यहां एक सीमाकंन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तेहसीलदार टप्पा बरोठा तेहसील देवास जिला देवास ने सीमाकंन करने का आदेश राजस्व निरीक्षक को दिया जिसके अनुसरण मे राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 26-06-2014 को सीमाकंन की कार्यवाही की जिसमे आवेदक को आहुत न करते हुए अवैध रूप से सीमांकन किया। जिससे असन्तुष्ट होकर आवेदक यह निगरानी आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

दरियावसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

(29)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3391-एक/14 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच.सी. जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	